पूर्वोत्तर भारत का भाषाई परिदृश्य और हिंदी

- प्रो. हितेंद्र कुमार मिश्र

पूर्वोत्तर भारत भारतवर्ष का उत्तर-पूर्वी हिस्सा है। इस भूखण्ड की अपनी अलग विशेषताएँ हैं। भौगोलिक रूप से 5,182 किलोमीटर में फैली हुई इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार से आच्छादित है। इस क्षेत्र का भौगोलिक विस्तार लगभग 262,179 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है जो भारतवर्ष के कुल क्षेत्रफल का लगभग आठ प्रतिशत है। यहाँ की कुल जनसंख्या 45, 772,188 तथा उसका घनत्त्व 170 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सामान्यतः पूर्वोत्तर भारत, भारतवर्ष के आठ राज्यों का सामूहिक संबोधन है।

वस्तुतः पूर्वोत्तर भारत के इन राज्यों में असम की उपस्थिति सबसे प्राचीन है। नागालैण्ड पूर्वोत्तर भारत का दूसरा ज्येष्ठ राज्य (गठन तिथि 01 दिसम्बर, सन् 1963 ई.) है। सन् 1971ई. में पूर्वोत्तर परिषद् (North-East council, NEC) के गठन के उपरांत इस क्षेत्र के विकास के लिए 21 जनवरी, 1972ई. को अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा नाम से पाँच और राज्यों का गठन किया गया। इन नवगठित राज्यों में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को संघशासित राज्य के रूप में मान्यता मिली थी जो कालांतर में 20 फरवरी, 1987ई. को पूर्ण राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त कर सके। इस प्रकार पूर्वोत्तर में 1972ई. तक राज्यों की संख्या सात हो गई। पूर्वोत्तर के राज्यों की इस पारिवारिक स्थिति को ही ध्यान में रखते हुए इन्हें सात बहनें (Seven Sisters) कहकर संबोधित किया गया। पूर्वोत्तर भारत के आठवें राज्य का गठन 16 मई, 1975ई. को हुआ तथा पूर्वोत्तर परिषद् में इसे 2002ई. में सम्मलित किया गया। सिक्किम के गठन के बाद पूर्वोत्तर में राज्यों की संख्या आठ हो गई जिसे सात बहनों और एक भाई के परिवार के रूप में मान्यता मिली। किंतु पूर्वोत्तर भारत के निवासियों के रहन- सहन, भाषा बोली, रीति-रिवाज आदि को ध्यान में रखकर यदि पूर्वोत्तर भारत का निर्धारण किया जाय तो इसमें उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और कूचबिहार को सम्मिलित किया जाना श्रेयस्कर है।

सामान्यतः इन्हीं सात बहनों एवं एक भाई के रूप में. जाने प्रसिद्ध कुल आठ राज्यों के समूह का सामूहिक संबोधन पूर्वोत्तर भारत है। किंतु किसी भी क्षेत्र या अंचल की सीमा केवल राजनीतिक या भौगोलिक सीमाओं मात्र में बँध कर नहीं रहती। वह निर्मित होती है उन आंतरिक तत्त्वों से जो सबमें समान रूप से पाई जाती है; वह निर्मित होती है उस क्षेत्रीयता या आंचलिकता से जो सामान्यतः एक समान रूप से उस क्षेत्र विशेष में पाई जाती है और पूर्वोत्तर भारत की तमाम क्षेत्रीय या आंचलिक विशेषताओं में से एक विशेषता इसकी भौगोलिक विशेषताओं के साथ-साथ यहाँ की सांस्कृतिक विशेषता भी है। पूर्वोत्तर भारत की समस्त प्रकार की विशेषताओं का मुख्य आधार यहाँ का वैविध्य है। सामाजिक, धार्मिक एवं भौगोलिक रूप से यह विविधता भारतवर्ष के किसी भी क्षेत्र में नहीं पाई जाती। भारत में निवास करने वाले जनजातीय समूहों में पूर्वोत्तर भारत में जनजातियों में व्यापक वैविध्य पाया जाता है

और इसीलिए भाषा में भी इस वैविध्य के दर्शन होते हैं। वस्तुतः भाषा वह माध्यम है जिससे एक समाज विशेष के लोग आपस में विचार- व्यवहार करते हैं। एक समाज विशेष की इसकी सीमा ही इसके वैविध्य की जननी है। समाज एक प्रकार के जीवन व्यवहार के लोगों का समूह होता है और जब भारत में सदियों से अपने अपने वैशिष्ट्य के साथ मानव समूहों का आगमन हुआ तो यह वैविध्य समूह के साथ-साथ भाषिक स्तर पर भी होना स्वाभविक ही है।

इस प्रकार सीमांकित पूर्वोत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषाओं पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ मूल रूप से मुख्यतः आग्नेय और तिब्बती बर्मन परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं। इनमें भी मेघालय की खासी मात्र पूर्वोत्तर भारत में आग्नेय परिवार की भाषा है। अरुणाचल की खाम्पती थाई भाषा परिवार से सम्बन्ध रखती है। इसके अलावा अधिकांश भाषाएँ तिब्बती बर्मन परिवार की भाषाएँ हैं। पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय समूहों की यह एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये भारतीयता के साथ-साथ अपनी मौलिकता के प्रति विशेष सजग दिखाई देते हैं। भारत के अन्य क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों पर भाषाई बहुलता के दबाव (सामाजिक और सांस्कृतिक) अधिक हैं, कारण यह है कि उन क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर वे समूह अल्पसंख्यक हैं और रोजी- रोज़गार के कारण दूसरी भाषा का दबाव उनपर अधिक है। किंतु पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों के साथ ऐसा नहीं है यहाँ के राज्यों में निवास करने वाले इन जनजातीय समूहों की आबादी बहुसंख्यक है। इसलिए इन समूहों पर रोजी- रोजगार सम्बन्धी वैसे दबाव नहीं हैं जैसे देश के अन्य क्षेत्रों में हैं। यहाँ बहुभाषिकता का कारण आपसी सम्पर्क और राष्ट्र के साथ सम्मानजनक सम्बन्ध स्थापन है। यहाँ भाषाई बहुभाषिकता का दबाव न होते हुए भी भारत की दूसरी भाषाओं के साथ इनके सम्पर्क आदर्श स्थिति में हैं।

विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं के पारिवारिक विभाजन के आधार पर यह देखा जाता है भारत में विश्व की कुल पाँच प्रमुख भाषा परिवारों यथा भारतीय आर्य, द्रविड़, आग्नेय, तिब्बती- बर्मन और अंडमानी की भाषाएँ बोली जाती हैं। इन भाषा परिवारों में भारतीय आर्यभाषा परिवार बोलने वालों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भारत में इस परिवार की लगभग 21 प्रमुख भाषाएँ- असमी, उडिया, उर्दू, कश्मीरी, कोंकणी, खानदेशी. गुजराती, डोंगरी, नेपाली, पंजाबी, बंगाली, विष्णुपुरिया, भीली, मराठी, मैथिली, लहंदा, संस्कृत, सिंधी, शिना, हलाबी और हिंदी बोली जाती हैं, जिनके बोलने वालों की संख्या का पूरी आबादी में 76.86 प्रतिशत है। इन भाषाओं में पंद्रह भाषाएँ संविधान की आठवीं अनुसूची में भी सम्मिलित हैं। इस समूह की कुछ भाषाएँ पूर्वोत्तर भारत में भी बोली जाती हैं जिसमें असमी, बंगाली, विष्णुपुरिया, हिंदी और नेपाली उल्लेखनीय हैं।

भारत में बोले जाने वाले भाषा परिवारों में दूसरा प्रमुख भाषा परिवार द्रविड़ है। इस भाषा परिवार के बोलने वालों की संख्या भारत की आबादी में 20.82 प्रतिशत है। इस परिवार से सम्बन्धित भारत में कुल सत्रह भाषाएँ बोली जाती हैं, जिसमें कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु संविधान की आठवीं अनुसूची में भी सम्मिलित हैं। इस समूह की कोई भी भाषा पूर्वोत्तर भारत में नहीं बोली जाती। आग्नेय परिवार भारत में बोलने वालों की संख्या के आधार पर तीसरे स्थान पर है। भारत में इसे बोलने वालों की संख्या 1.11

प्रतिशत है। इस परिवार की भाषा के मुख्यतः दो समूह भारत में प्रचलित हैं, वे ख्मेर निकोबारी और मुण्डा हैं। ख्मेर निकोबारी में मॉन- ख्मेर और निकोबारी दो समूह हैं। मॉन- ख्मेर समूह की एक मात्र भाषा 'खासी' पूर्वोत्तर भारत के मेघालय की प्रमुख भाषा है तो निकोबारी अंडमान में प्रचलित है। मुण्डा समूह की बारह भाषाएँ भारत में प्रचलित हैं जिसमें संथाली को 2003ई. से संविधान के 92वें संशोधन के माध्यम से आठवीं अनुसूची में स्थान प्राप्त है। तिब्बती बर्मन परिवार के भाषाओं के बोलने वालों की संख्या भारत में अत्यल्प है जो कुल आबादी का लगभग एक प्रतिशत है। बोलने वालों की संख्या इस समूह की भले ही कम हो किंतु विविधता की दृष्टि से यह बहुत ही सम्पन्न समूह है। इसकी भाषाओं की संख्या 66 के आसपास है। इस समूह की तीन मुख्य शाखाएँ- तिब्बती हिमालयन, उत्तरी असम और असमी बर्मन हैं। भारत में बोली जाने वाली तिब्बती बर्मन समूह की सभी भाषाएँ पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती हैं। इस समूह की दो भाषाएँ मणिपुरी और बोडो संविधान की आठवीं अनुसूची में भी शामिल हैं। भारत में बोले जाने वाले भाषा परिवारों में अंडमानी परिवार की भाषाएँ भी बोली जाती हैं। इस भाषा परिवार की भाषाओं के अनेक रूप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित हैं। इसके अलावा भारत में थाई समूह की भी एक भाषा खाम्पती बोली जाती है जो अरुणाचल के एक विशिष्ट समूह द्वारा बोली जाती है। भारत की यह भाषाई बहुलता जनजातीय समूहों में भी पाई जाती है। इन जनजातीय समूहों में प्रायः अलग- अलग भाषाएँ बोली जाती हैं। भारत में जनजनतीय समूहों की संख्या 705 बताई जाती है। प्रायः प्रत्येक जनजाति अपने रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज की विशिष्टता के साथ-साथ भाषाई वैशिष्ट्य को लिए हुए है। बोलने वालों की संख्या के आधार पर ये चाहे छोटी या बड़ी कह दी जाय, उन्हें जनगणना में सम्मिलित न किया जाय, किंतु महत्त्व की दृष्टि से सभी समान हैं। इसे और स्पष्ट करने के लिए पूर्वोत्तर में प्रचलित भाषाओं की राज्यवार स्थिति के आँकड़ों को देखा जा सकता है।

जनसंख्या की दृष्टि से असम पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के आधार पर असम भारत का पंद्रहवाँ राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से स्कॉटलैण्ड के बराबर है। 2001ई. की जनगणना के अनुसार यहाँ 48.8 प्रतिशत असमिया तो 27.5 प्रतिशत बांग्ला भाषी निवास करते हैं। शेष 5.88 प्रतिशत हिंदी, 4.8 प्रतिशत बोड़ो, 2.12 प्रतिशत नेपाली के साथ 11.8 प्रतिशत अन्य भाषा भाषियों का हिस्सा इस राज्य में निवास करता है। जनसंख्या के आधार पर पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा दूसरे स्थान पर है तो भारतीय स्तर पर 22वाँ राज्य है। इस राज्य में त्रिपुरी बोलने वालों की संख्या 25.46 प्रतिशत है तो बांग्ला भाषियों का यहाँ हिंदी भाषियों की संख्या 1. भाषियों की संख्या 1.2 प्रतिशत अनुपात 67.14 प्रतिशत है। 68 प्रतिशत तो कूकी भाषा के बराबर है। जनसंख्या के आधार पर मेघालय पूर्वोत्तर के राज्यों में तीसरे स्थान पर और भारत का 23वाँ राज्य है। इस राज्य की मुख्य भाषा खासी, गारो और जयंतिया है, जो यहाँ की पहाड़ियों और जनजातीय समूहों के भी नाम भी हैं।

मेघालय में बोलने वालों की संख्या के आधार पर देखें तो खासी 33.82 प्रतिशत, गारो 31.6 प्रतिशत, पनार 10.69 प्रतिशत, बांग्ला 6.44 प्रतिशत, नेपाली 1.85 प्रतिशत, वार 1. 73 प्रतिशत, हिंदी 1.62 प्रतिशत, हाजोंग 1.4 प्रतिशत, असमी 1.34 प्रतिशत और अन्य 9.51 प्रतिशत हैं। इसी प्रकार जनसंख्या के आधार

पर पूर्वोत्तर का चौथा राज्य मणिपुर है जो इसी आधार पर भारत का 24वाँ राज्य है। इस राज्य में गैर जनजातीय भाषा का दबाव बहुत कम है। मैतेई यहाँ की प्रमुख भाषा है जिसके बोलने वालों की संख्या यहाँ की आबादी में 53 प्रतिशत है। इस राज्य में बांग्ला और हिंदी भाषियों का अनुपात 1.25 और 1.14 प्रतिशत है। नागालैण्ड जनसंख्या के आधार पर पूर्वोत्तर का पाचवाँ और भारत का पच्चीसवाँ राज्य है। इस राज्य में भी गैर जनजातीय भाषाओं का दबाव अत्यल्प है। यहाँ कोनयाक, लोथा, अंगामी, आओ, चोकरी, चांग आदि भाषा- भाषियों का अनुपात गैर जनजातीय भाषा- भाषियों से अधिक है। बांग्ला भाषी 3.77 तो हिंदी भाषी 3.13 प्रतिशत हैं। अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या के आधार पर पूर्वोत्तर का छठवाँ तो भारत का सत्ताइसवाँ राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर यह राज्य पूर्वोत्तर का पहला तो भारत का पंद्रहवाँ राज्य है। भाषाई रूप से भी यह राज्य पूर्वोत्तर का अत्यंत उर्वर राज्य है। यहाँ पचास के आसपास प्रमुख जनजातियाँ और उनकी भाषाएँ विद्यमान हैं। इस राज्य को भाषाई बहुलता में एशिया में प्रथम स्थान प्राप्त है। इस राज्य में निशी, आदी. मोनपा, वांगचू, तांगसा, मिष्मी, मिसिंग, नोक्ते के साथ-साथ असमी, बांग्ला, नेपाली और हिंदी भाषियों की भी अच्छी संख्या विद्यमान है। जनसंख्या के आधार पर भारत का अठ्ठाइसवाँ और पूर्वोत्तर का सातवाँ राज्य मिजोरम भी जनजातीय समूहों और जनजातीय भाषाओं की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है। गैर जनजातीय भाषा- भाषियों की संख्या यहाँ अत्यल्प या नहीं के बराबर है। इस राज्य में मिजो भाषी समुदाय प्रांत का सत्तर प्रतिशत से अधिक है। शेष समुदायों द्वारा प्रमुख रूप से चकमा, मारा, ताई, कूकी. त्रिपुरी, हमार, पाइते आदि जनजातीय भाषाएँ बोली जाती हैं। जनसंख्या के आधार पर सिक्किम भारत और पूर्वोत्तर का सबसे छोटा राज्य है। इस राज्य में भारतीय आर्य, आग्नेय, तिब्बती बर्मन, तीनों भाषा परिवारों की भाषाएँ बोली जाती हैं। यहाँ नेपाली 62.6 प्रतिशत, भूटिया 7.6 प्रतिशत, हिंदी 6.6 प्रतिशत, लेपचा 6.5 प्रतिशत, लिंबू 6.3 प्रतिशत, शेरपा 2.4 प्रतिशत, तमांग 1.8 प्रतिशत तथा 6.2 प्रतिशत अन्य भाषा भाषी रहते हैं।

पूर्वोत्तर भारत के भाषाई परिदृश्य को देखने से जो मूल बातें निकलकर सामने आती हैं वे इस प्रकार हैं-

1. भारत में भाषाई वैविध्य की दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत सर्वाधिक सम्पन्न है।

2. पूर्वोत्तर की यह भाषाई बहुलता उसे वैश्विक स्तर पर अप्रतिम बनाती है।

3. भाषाई वैविध्य के बावजूद सामाजिक, सांस्कृतिक सौहार्द में कोई समस्या नहीं है।

4. भाषाई वैविध्य के बावजूद बहुभाषिकता का दबाव मैदानी क्षेत्रों जैसा नहीं है, जहाँ छोटी भाषाएँ अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं।

उपरोक्त तथ्यों को लेकर जब विचार करते हैं तो यह बात विचारणीय है कि राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर इनके अंतर्सम्बन्ध का स्वरूप क्या है? इस ओर जब ध्यान देते हैं तो 'राष्ट्रभाषा हिंदी और जनदीय बोलियाँ' शीर्षक लेख में प्रो. नंद किशोर पाण्डेय जी का वक्तव्य महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि "वस्तुतः भाषाओं की एकता का आधार केवल व्याकरण नहीं है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक एवं राजनीतिक कारणों से भी भाषाई एकता होती है। ये ही कारण बिखराव के लिए भी उत्तरदायी हैं।" प्रांतो की सीमाएँ राजनीतिक

होती हैं। राजनीतिक सीमाओं के आर पार रहने वाले लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धों में कोई अलगाव नहीं होता। हम सभी अपनी क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ राष्ट्रीय चरित्र सहधर्मिता और सहजीविता के कारण विविधता में एकता को स्थापित करते हैं। मूल रूप से हम चाहे जिस जातीय समूह से सम्बन्ध रखते हों किंतु भारतीय वातावरण में विकसित होने के कारण भारतीय हैं।

पूर्वोत्तर के समुदायों में रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा बोली में वैविध्य होने के बावजूद भारतीयता के सूत्र उसी प्रकार देखे जा सकते हैं। आज पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भाषाओं के साथ राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक बोली समझी जाने वाली सम्पर्क भाषा हिंदी का सम्बन्ध उसी प्रकार है। अधिकांश भाषाओं में हिंदी के शब्द और हिंदी में इनके शब्दों का प्रवेश हो रहा है। एक प्रकार से कहा जाय तो भाषा की नई शैलियों का विकास हो रहा है।

भाषा में सतत विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। इसीलिए प्रत्येक युग में व्यवहार की भाषा मानक भाषा से थोड़ा बहुत विचलन लिए हुए होती है। पूर्वोत्तर की भाषाओं में भी सहजीविता और सहधर्मिता के कारण ही हिंदी शब्दों का प्रवेश दिखाई देता है। 2011 की जनगणना में हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषाओं की संख्या 49 गिनाई गई है। जिसे ध्यान में रखते हुए उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदी की 200 भाषाएँ होंगी और यह केवल भाषा ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की मूल प्रवृत्ति है। 'सब पढ़ें- सब बढ़ें' की भावना के साथ सबका समान सम्मान और अधिकार भारतीय बहुलतावादी संस्कृति का मूल आधार है।

- प्रो. हितेंद्र कुमार मिश्र

हिंदी विभाग

पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलॉन्ग